भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1888

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

अर्द्ध-सैनिक बलों में नौकरी हेतु फर्जी पेशकश

†1888. श्री लाल सिंह वडोदियाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अर्द्ध-सैनिक बलों में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपया ठगने के अनेक मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मामलों में अभी तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (ग): ऐसी कोई सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने तीन मामले सूचित किए हैं और एक मामले में व्यक्ति को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया है। केन्द्रीय औद्योगिक पुलिस बल (सीआईएसएफ) ने तीन मामले सूचित किए हैं, असम राइफल्स ने दोषसिद्धि के तीन मामले सूचित किए हैं और सीमा सुरक्षा बल ने ग्यारह मामले सूचित किए हैं, जिनमें से दस मामले में दंड दिया गया है। आईटीबीपी को भी असफल उम्मीदवारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनको एक नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है जिसके तहत उनको कार्यभार संभालने से पूर्व प्रशिक्षण प्रभारों के रुप में कुछ राशि बैंक खाते में जमा कराने की सलाह दी गई है। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त नियुक्त-पत्र फर्जी पाए गए थे। लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए आईटीबीपी ने अपनी वेबसाइट पर लोगों के सूचनार्थ नियुक्ति के प्रस्ताव का मॉडल प्रारुप जारी किया है और फर्जी नियुक्ति-पत्र के बारे में आम लोगों को सुग्राही करने के लिए राष्ट्रीय/स्थानीय अखबारों में सार्वजनिक सूचना भी जारी की है।